FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

रामनिवास मीणा बनाम भूमिधारी वगै0

2025/1066

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राज0 का0 अधि0 मु0नं0 472 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19-06-2025 | रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। आवेदक/प्रार्थी की ओर से श्री विष्णुदत्त शर्मा एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तामील जरिए अखबार से करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की तामील जरिए दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" से करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जाता हैं। तहसीलदार पाटन से प्रकरण में रास्ते के संबंध में जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर एवं अप्रार्थीगण की तलबी जरिए अखबार की जाकर मिसल दिनांक 30.06.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) | |
| 30.9.25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। P.O. साहब ट्रेनिंग कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10.9.25 को पेश हो। [illegible] | |
| 10/09/2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण की तामील जरिए अखबार से करवाये एक माह से अधिक का समय हो गया हैं। बावजूद अखबार से तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। तहसीलदार पाटन से प्रकरण में रास्ते के संबंध में रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हुई। अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2025.10.06 15:28:38 IST

Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख इस हुक्म के जो इसमें जारी हुआ |
|---|---|---|
| | पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी उक्त प्रकरण में अपनी भूमि ख0नं0 381/269 में आने जाने के लिए रास्ते का अनुतोष चाहता हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 381/269 किस्म सोलर प्लांट प्रयोजन बाबत रूपान्तरित हैं तथा रास्ते हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि गै.मु. रास्ता, गै.मु.चाह, गै.मु. नला तथा औद्योगिक भूमि हैं जिस कारण "भूमि के बदले भूमि हस्तान्तरण" किया जाना सम्भव नही हैं। प्रस्तावित रास्ता की अधिकतम लम्बाई 320 मीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 05 मीटर है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थी की तन ग्राम बागावाला पटवार हल्का डूंगाकीनांगल तहसील पाटन अवस्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 381/269 में आने जाने के लिए भूमि ख0नं0 256 किस्म गै.मु.नला व ख0नं0 260 किस्म औद्योगिक को छोड़ते हुए ख0नं0 250, 249 में से मुताबिक नक्शा ट्रेस व तहसीलदार रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थी से उक्त रास्ता भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को दिलवायी जाकर उक्तानुसार रास्ता कायम किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:28:38 IST
Reason: SelfAttested